भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4286

गुरुवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु निधियां

4286. श्री चन्द्रेश्वर प्रसादः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु बिहार सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस दिशा में बिहार सरकार द्वारा कराए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) उक्त निधियों के पर्याप्त उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु बिहार सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित धनराशि संलग्न है।

(ख): आवधिक नवीकरण, बाढ़ से नुकसान की मरम्मतें और साधारण मरम्मतों के तहत कार्य बिहार सरकार द्वारा किया गया है और 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (मई, 2019 तक) क्रमशः 97.29 करोड़ रू, 20.92 करोड़ रू और 0.02 करोड़ रू की धनराशि का उपयोग किया गया है।

(ग): उपरोक्त धनराशि के पर्याप्त उपयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार द्वारा तिमाही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में नियमित निरीक्षण और धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी के लिए इस मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी तैनात किए जाते हैं।

अनुलग्नक

"राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु निधियां" के संबंध में श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 4286 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अंतिम दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु आवंटित/उपयोग किए गए निधियों का राज्य/संघराज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रू में)

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र/एजेंसी	2017-18	2018-19	2019-20
		आवंटन	आवंटन	आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	83.52	87.98	39.39
2	अरुणाचल प्रदेश	42.67	34.10	13.58
3	असम	122.63	48.33	33.55
4	बिहार	121.68	38.86	24.71
5	छत्तीसगढ़	28.17	28.59	12.39
6	गोवा	21.60	8.10	4.40
7	गुजरात	65.19	80.30	23.60
8	हरियाणा	40.38	0.80	11.00
9	हिमाचल प्रदेश	79.02	55.45	20.90
10	जम्मू और कश्मीर	12.95	33.48	5.30
11	झारखंड	65.48	44.31	18.13
12	कर्नाटक	126.78	66.21	18.93
13	केरल	113.99	81.95	52.11
14	मध्य प्रदेश	75.37	40.59	18.00
15	महाराष्ट्र	225.75	387.90	226.80
16	मणिपुर	23.06	34.94	15.94
17	मेघालय	107.60	121.29	64.41
18	मिजोरम	125.93	158.98	84.67
19	नगालैंड	55.32	63.33	33.37
20	ओडिशा	34.81	43.24	12.21
21	पंजाब	38.00	33.20	20.20
22	राजस्थान	69.78	52.73	22.70
23	सिक्किम	4.13	16.00	6.64
24	तमिलनाडु	74.39	52.77	21.92
25	तेलंगाना	54.36	37.34	8.46

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र/एजेंसी	2017-18 आवंटन	2018-19 आवंटन	2019-20 आवंटन
26	त्रिपुरा	40.65	47.94	21.85
27	उत्तर प्रदेश	88.53	73.07	29.47
28	उत्तराखंड	31.98	38.06	12.02
29	पश्चिम बंगाल	60.78	32.27	7.55
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	1.26	0.10	0.30
32	दादर और नगर हवेली	0.11	0.10	0.30
33	दमन और दीव	0.07	0.10	0.30
34	दिल्ली	0.98	0.50	0.90
35	पुडुचेरी	1.14	1.08	1.10
36	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) *	575.00	272.19	50.00
37	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचएआईडीसीएल) *	125.00	100.00	25.00
38	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)*	135.00	115.00	25.00
39	पुल प्रबंधन प्रणाली	2.69		

*-राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया गया।

*****